पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 एवं एनबीडब्लू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 24.03.2023

दिनांक 23/24-03-2023 को रात्रि थाना गुडम्बा 01, थाना इन्दिरानगर 01, थाना मड़ियांव 01, थाना सआदतगंज 01, थाना ठाकुरगंज 01, थाना वजीरगंज 01, थाना मदेयगंज 01 एवं एनबीडब्लू में थाना सआदतगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित कुल 07 एवं एनबीडब्लू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना चिनहट-दिनांक 23.03.2023 को प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक राव थाना चिनहट द्वारा अभियुक्त 01-लवकुश उर्फ मिट्ठा पुत्र बहादुर रावत निवासी ग्राम हरदासी खेड़ा कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ 02-नितिन कुण्डी पुत्र स्व0 प्रमोद कुमार कुण्डी निवासी निकट यूनियन बैंक विजडम वे स्कूल के पास मटियारी चौराहा थाना चिनहट जनपद लखनऊ 03- धीरज रावत उर्फ चुन्नू पुत्र बहादुर रावत निवासी ग्राम हरदासी खेड़ा कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ के विरूद्ध थाना चिनहट पर धारा 3(1) यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

थाना बंथरा:-दिनांक 24-03-2023 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री शम्भू दयाल पुत्र स्व0 कल्लू निवासी ग्राम हमीरपुर थाना बंथरा लखनऊ ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि वादी का पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष जो कि मजदूरी व कृषि कार्य करता था। दिनांक 23-03-2023 समय करीब 04.30 बजे शाम को वादी का पुत्र पैदल ही गांव से बंथरा कस्बा लखनऊ कि तरफ जा रहा था कि बंथरा कस्बा के पास लखनऊ की तरफ से कानपुर जा रही ट्रक संख्या यूपी30 टी 8945 वाहन के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पैदल जा रहे वादी के पुत्र भोला प्रसाद को जोरदार टक्कर मार दिया, जिस कारण वादी का पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज हेतु वहां मौजूद लोगों द्वारा सीएचसी सरोजनीनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 85/2023 धारा 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री गौरव बाजपेई द्वारा की जा रही है।**

थाना चौक:-दिनांक 24-03-2023 को थाना चौक द्वारा बताया गया कि वादी श्री राम खिलावन गौड़ पुत्र हीरालाल निवासी केशवनगर निकट सरकारी अस्पताल फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना चौक पर सूचना दिया कि वादी का पुत्र अभिषेक गौड़ उम्र करीब 24 वर्ष दिनांक 23-03-2023 समय करीब 07.45 बजे शाम अपनी अपाचे बाइक से लालबाग से कम्प्यूटर कोचिंग करके वापस घर आ रहा था, नख्खास तिराहे के ऊपर ओवर ब्रिज पर जा रहा था कि उसी समय ओवर ब्रिज पर चढ़ कर हैदरगंज की तरफ जा रही महेन्द्रा थार संख्या यूपी 32 एनएफ 6699 वाहन के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादी के पुत्र अभिषेक गौड़ की बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिस कारण वादी का पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज हेतु वहां मौजूद लोगों द्वारा ट्रामा सेन्टर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना चौक पर मु0अ0सं0 69/2023 धारा 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत** कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।